


खलानक ४० - ८५

5RS

(13)



यह जनरल रियर्स बैंक
मेंगो विक्री की गई है।
जिसका वित्तीय नम्बर 17828
का छापा पकड़ा गया है।

सत्य प्रति लिखि

Dr
जहायक विष्वास
इस लेखालीव एवं इसका
प्राप्ति
30-9-02

A. H. J.

1952
अमे

1. संस्था का नाम : महंथ महादेव भारती विकास संस्थान।
2. संस्था का पता : ग्राम-नसीरपुरपठ, पोस्ट-कोटवांनारायणपुर, जिला-बलिया (बाप्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष। ग्रामीण एवं शहरी।
4. संस्था का व्यवस्था :

(1) आलक व बालिकाओं हेतु व्यवसायिक जैसे सिलाई, कढाई, बुनाई, कलाई, स्टेनोग्राफर, फोटोग्राफर और टाइपराइटिंग आदि और उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोदय बोर्ड से सम्बन्धित विभिन्न उद्योगों जैसे अगवानी, हाथ कागज, फल संरक्षण, जड़ी बुटियों का संचयन आदि स्थापित करना और अन्य प्रकार के विद्यालयों/संस्थाओं को जिन्हें सोसायटी उचित समझाती हो इसके अतिरिक्त विज्ञान, कला, साहित्य एवं प्रशिक्षण, अध्योगी ज्ञान के प्रचार व प्रसार, युवाकालयों, याचनालयों को स्थापित करना तथा संचालित करना।

सोसाइटी द्वारा संचालित सभी विद्यालयों शिक्षण संस्थाओं के छात्रों के लिए छाप्राधासों व आँखों का निर्माण एवं उनकी देखभाल करना।

- (3) संचालित संस्थाओं के प्रोत्तिहति हेतु सभों कार्य करना, संस्कृत पाठशालाओं को स्थापित करना एवं दुग्ध सहकारी समितियों को बनाना और उनका संचालन करना।
- (4) उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना एवं संचालित करना।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम, पता, व्यवसाय व पद जिसको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंचा गया :-


सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धक नियम
काल दृष्टिकोण व विधि विभाग
प्रबन्धक विभाग

प्रबन्धक विभाग
प्रबन्धक विभाग
प्रबन्धक विभाग

1. संस्था का नाम : महार्थ भगवान् भारती विकास संस्थान।
2. संस्था का पता : ग्राम-नसीरपुरमठ, पोस्ट-कोटवांनारायणपुर, जिला-बलिया (उपरो)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष। ग्रामीण एवं शहरी।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ष :-

वह भारतीय नागरिक जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों संस्था के कार्यों में निष्ठा रखते हों संस्था की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं उनकी सदस्यता निम्नवत् होगी :-



(अ) आजीवन सदस्य

वह व्यक्ति जो संस्था के कोष में 1210/- रूपया नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति एक मुश्त में देंगे, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

वह सदस्य जिनके द्वारा संस्था की स्थापना की जायेगी, संस्था के संचालन में विशेष सहयोग देंगे, वे संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर लिए जायेंगे।

(स) सामान्य सदस्य

वह व्यक्ति जो संस्था के कोष में 121/- रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे, वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

वह व्यक्ति जो संस्था के कोष में 550/- रूपया या उससे अधिक धनराशि निःखार्थ भाव से देंगे वे संस्था के संरक्षक सदस्य माने जायेंगे।

निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त हो जायेगी :-


[Signature]
संचित

गांधी भगवान् भारती
-संस्था का कार्यालय

निर्मल कुमार
प्रबन्धक

उमायश विष्वनाथ
कृष्ण बोद्धानी एवं चिट्ठा
प्रबन्धक
१३.३.२०१३

1. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
2. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर।
3. किसी सदस्य के न्यायालय हारा दण्डित होने पर।
4. किसी सदस्य के स्वर्य लिखित त्याग पत्र देने पर।
5. किसी सदस्य के संस्था के विष्व छानिकारक कार्य करने पर।
6. संस्था के शुल्क समय से न जमा करने पर।



संस्था के हो अंग होंगे :-

- (1) साधारण सभा।
- (2) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा

(अ) गठन

संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर नियमावली के पैरा बैच्च नम्बर-चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जायेगी।

साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

संस्था के सभी सदस्यों के कम से कम दो तिसरे उपस्थिति के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी। गणपूर्ति के अधाव में आधे घंटे बाद पुनः

सत्य प्रतिलिपि

[Signature]

जहायक जिन्नचक
संसं बोकार्टी इ पुनः । १८८५
[Signature]

मिलान इत्ति... *[Signature]*
प्रतिलिपि इत्ति... । १८८५

बैठक बुलाई जा सकती है और इसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

- (व) वार्षिक अधिवेशन : संस्था का वार्षिक अधिवेशन विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हर वर्ष नियमानुसार मनाई जायेगी।
- (ट) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (1) संस्था के गत् वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान करना।
- (2) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को घटना नियमानुसार करना।
- (3) आवश्यक संशोधन के साथ संस्था के नियमों एवं विनियम में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना।
- (4) संस्था के विलङ्घ सुनिकारक कार्य करने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति-

- (अ) गठन : साधारण के दो तिहाई बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, संरक्षक प्रबन्धक, दो उप प्रबन्धक/उप सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा 4 सामान्य सदस्य होंगे।

प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय पूर्व सूचना पर बुलाई जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना

प्रियान राति

प्रतिलिपि करति

बैठक से 24 घंटे पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(६) गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी। गणपूर्ति के अधाव में आधे घंटे बाद पुनः बैठक दुलाई जा सकती है और इसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(७) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत द्वारा शेष अधिकारी के लिए साधारण सभा में से किसी भी योग्य व्यक्ति का नियाचन पर लिया जायेगा।

(८) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (1) संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।
- (2) शिक्षक, प्रथानाचार्य के चुनाव के लिए विनियमों के अनुसार समितियाँ गठित करना।
- (3) संस्था के लिए अनुदान, दान, चन्द्रे आदि प्राप्त करना।
- (4) संस्था के नियमों एवं समितियों की देख-रेख करने तथा उसे सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना।
- (5) संस्था के वैतनिक कर्मचारियों को संस्था के नियमों व विनियमों के अनुसार नियुक्ति, स्थाई कारण, पदोन्नति, पदच्युत करना।

(९) कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से पाँच वर्षों का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

सत्य प्रतिलिपि

अधिकारी निवन्धक
कृपया दीपांकरी एवं चट्टा
 अधिकारी

मिलान करते हैं
प्रतिलिपि करते हैं


(1) अध्यक्ष

1. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक करने के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
3. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर निर्णयक मत देकर उसका निर्णय करना।


(2) उपाध्यक्ष

- : अध्यक्ष के अनुस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उपस्थिति में उनके कार्यों में सहयोग देना।

(3) सचिव/प्रबन्धक

1. संस्था के लिए अनुदान, दान, चन्दे आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए दस्ताविधि रसीदें देना।
2. संस्था के चयनित कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा भुगतान स्वीकृत करना।
3. संस्था के समस्त आय को बैंक में जमा करना तथा निकालना।
4. संस्था से सम्बन्धित मामलों में समिति/संस्था की सभी कानूनी कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना।
5. संस्था से सम्बन्धित कागजातों एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
6. बैठक करने के लिए सभी सदस्यों को सूचनायें देना तथा बैठक की कार्यवाही लिखना।
7. समिति के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य अधिकारक के रूप में  करना।


सत्य प्रतिलिपि


सहायक नियन्त्रक
इमरु शेषाही एवं चिट्ठ


महान् नहानी बाल
नाना नाना बाल

विलान कलि...
प्रतिलिपि कलि...

8. प्रबन्धक संस्था का मुख्य कार्यपालक होगा और संस्था विशेषी कार्य करने वाले कर्मचारियों को विलम्बित करना, मुक्त करना और सेवा समाप्ति करना तथा सभी तरह से कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करना।

9. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

10. संस्था को प्राप्त होने वाले सभी तरह के अनुदान, वित्तीय सहायता, छन्दा, बैंक ऋण एवं भक्ति आदि प्राप्त करना।

11. वेतन विल पर हस्ताक्षर करना, भुगतान करना तथा विल बाबुल को स्वीकृत करना।

12. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

संस्था के उप सचिव/ उप प्रबन्धक के अनुसन्धिति को करना तथा उनके उपस्थिति में उनके समस्त कार्यों को करना तथा उपस्थिति में उनका सहयोग करना।

(4) उप प्रबन्धक शेष वाचमान :- 1. संस्था के नियमों एवं सम्पत्तियों के लेखे को सम्पालना।

2. संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार करना और रखना।

3. आय-व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करना।

१५.

१५.

१५.

१५.

१५.

१५.

१५.

१५.

१५.

१५.

१५.

(4) उप प्रबन्धक शेष वाचमान :-

(5) कोषाध्यक्ष

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

अंगारक निकन्धक
अमृत थोकटी एवं एटू
अमृतसुल्तान

मिलान वासुदेव
अमृतसुल्तान

11. संस्था का कोष :-

किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से खाता या डाकघर में खाता खोलकर संस्था का समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालक का सचिव/प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :-

संस्था के विचारीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा आय-व्यय का निरीक्षक लेखा परीक्षक द्वारा कराई जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विस्तृत अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अथवा उसके विस्तृत लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सचिव/प्रबन्धक पर होगा।

14. संस्था के अधिलेख



संस्था के निम्नलिखित अधिलेख होंगे :-

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. कैश बुक आदि।

15. संस्था के विषट्टन तथा विषट्टित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही :-

संस्था के विषट्टन तथा विषट्टित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

1. गरीब व प्रतिभावान छात्रों की सहायता एवं प्रेरणा हेतु छात्रवृत्तियों/आर्थिक सहायता आदि की व्यवस्था करना। जिला उद्योग केन्द्र बलिया उत्तर प्रदेश वित्त निगम आदि वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर विभिन्न

संस्था का नियमित
संस्था का नियमित

संस्था का नियमित
संस्था का नियमित

प्रांतीय संस्था
प्रांतीय संस्था

उद्योग स्थापित करना और उत्पादन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को करना तथा उसे प्रोत्साहित करना।

2. समस्त लक्षणों की पूर्ति के लिए धन एकत्र करना और कार्य का निर्माण एवं उसकी व्यवस्था करना।
3. उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल एवं अचल सम्पत्ति काय करना या घटे/किराये/विनियोग उपहार स्वरूप या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करना।
4. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के किसी उद्देश्य/उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऋण लेना या धन इकट्ठा करने हेतु किसी सम्पत्ति का अन्धक, गिरवी रखना।
5. ऐसे सभी कार्यों को करना जो उपर्युक्त लक्षणों या उनमें से किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति में व्यक्तिगत सहयोग दे या लाभप्रद हो।
6. संस्थाओं को संचालित करने के लिए घटा आर्थिक सहायता, ऋण व अनुदान स्थानीय राज्य व केन्द्रीय सरकार और अन्य प्रकार के संस्थाओं व अन्य श्रोतों आदि के माध्यम से एकत्र करना।
7. संस्था द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं के संचालन हेतु नियम व परिनियम आदि बनाना एवं उनके संचालन हेतु बाह्य समितियों का गठन करना, संस्था के माध्यम से चलने वाले संस्थाओं, विभागों के माध्यम से विकास कार्यों का मूल्यांकन करना।



५२

२५/११/१५

मधुराम
प्रीमिती वर्धिका

सत्य प्रतिलिपि

मधुराम विवरण
मधुराम वर्धिका एवं चिट्ठा
मधुराम
30/9/01

मिलान तह
प्रतिलिपि करता है

मधुराम वर्धिका
मधुराम वर्धिका एवं चिट्ठा
मधुराम वर्धिका

8. पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु वृक्षारोपण को सफल बनाना, पौधों को और मानव उपयोगी बनाने हेतु जब फसल देने वाली दलहनी, तेलहनी और औषधियाँ पौधों को उसे सुखा अवरोधी और बाढ़ प्रतिरोधी फसलों पर शोध कार्य कर देना। ऐसे प्रभेदों को उपच करना जो अधिक से अधिक उपज दे सकें। केन्द्रीय और राज्य सरकार के माध्यम से चलने वाली परियोजनाओं से सम्पर्क स्थापित करके जीवनोपयोगी फसलों को लगाना। आईएआरआईएसी० ए०आर०, सी०एस० आई० आर० शोध एवं तकनीकी परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता लेना।

9. बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर प्रौढ़ निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाकर स्वतः रोजगार व स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रौढ़ शिक्षा निदेशक से सरकार से परामर्श व सलाह, सहायता आदि लेना। उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय, लखनऊ और कानपुर से सहायता लेकर गरीब निराश्रित समाज के कमज़ोर वर्ग और हरिजन महिलाओं, बालकों और बालिकाओं तथा विकलांग को प्रशिक्षित करके उपादन से सम्बन्धित कार्यों में लगाना। निदेशालय से सम्बन्धित ट्रेड जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि में प्रशिक्षण देना।

10. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, नारी कला मंदिर, 6 पंडित नगर लखनऊ, समाज कल्याण मंत्रालय, मानव संशाधन मंत्रालय, भारत सरकार, हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ, आवस्प्रेस अवार्ड



२०.१.८४।

मधुराप
श्रीती बोधिका

सत्य इ.टी.लिपि

लोहाया निवास
इमर्ज लीवरी एवं इट्रु
30 दिसंबर १९८३

मिलान कहते हैं
प्रतिलिपि कहते हैं

नावार्ड आदि यूनिसेफ संस्था को सम्बद्ध करके वित्तीय सहायता अनुदान लेकर समाज के कमज़ोर वर्ग, विधवा, निराश्रित, विषदाग्रस्त महिलाओं एवं विकलांगों को विभिन्न द्रेडों में प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा देकर, स्वावलम्बी बनाना तथा पुनर्जागरण की व्यवस्था करना। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से ग्रामीण एवं शहरी कमज़ोर वर्ग की महिलाओं निराश्रित महिलाओं और बच्चों को जोड़ना एवं अल्प शिक्षा पाउयकर्मों के अन्तर्गत शिक्षित करके व्यवसायिक कार्यों से जोड़ना अन्य एजेन्सियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को अपना कर हरिजन, विधवा, निराश्रित महिलाओं, बालक, बालिकाओं को रोजगार परक शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाना। हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ से चलने वाले विभिन्न प्राविधिक द्रेडों में महिलाओं, विकलांगों, बालक, बालिकाओं को प्रशिक्षण देना।

11. प्रादेशिक शिक्षा दल से परामर्श सहायता, वित्तीय अनुदान आदि लेकर ग्रामीण युवकों/युवतियों को प्रशिक्षित करके समाज सेवा में लगाना। परिवार कल्याण कार्यक्रम और पात् शिशु कल्याण के माध्यम से चलने वाले परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्यों को करना।

12. प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय से संस्था को सम्बद्ध करके विभिन्न द्रेडों में बालिकाओं/बालकों को प्रशिक्षित करना।

सत्य प्रतिलिपि

संहायक निदेशक
भारत सेवाट्रोन एवं इट्रा
30-9-08

देवा न राम
प्रतिलिपि राम

Ch

13. सरकारी/अर्द्धसरकारी, विभिन्न नियमों, ज्ञात प्रदेश निवास के नाम, लघु उद्योग निदेशालय व विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से बतने वाले प्रशिक्षणों को संचालित करना, उससे वित्तीय सहायता अनुदान, परामर्श आदि लेकर हथकरधा कालीन, बुनाई आदि में समाज के पिछड़े वर्ग और हरिजन जातिक/वालिकाओं, महिलाओं को प्रशिक्षित करना तथा रखावलाखी बनाना।

17. प्रतिबन्ध

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी "महंश महादेव भारती विकास संस्थान" का नियारित सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ख) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाप्रित सदस्य होंगा।
- (ग) विद्यालय में कम से कम 10% स्थान अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित होगा और उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्ड शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (घ) दृष्ट द्वारा राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौसिल प्राव इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजापिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से परिषद मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि


सहायक निदेशक
पूर्ण शोकाई एवं चैदन
द्वारा

प्रियोगलिपि द्वारा
प्रियोगलिपि द्वारा

प्रियोगलिपि द्वारा

(26)

- (इ) दस्ट के शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य तथा अन्य वेतनमान भरते नहीं दिए जायेंगे।
- (ब) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उम्मात विड के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगी।
- (छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र एवं पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (झ) उद्युक्त के से ज तक के प्रतिबन्धों को शासन के बिना अनुमति के परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।



अ. (प)

नमुना

उपलब्धिकालीन

प्राप्ति

दिनांक 1-2-2002.

सत्यापित

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

[Signature]
सामाजिक निवृत्ति
एवं शोकाइटी एवं विट्टन
कानून
30-9-02

मिलान दस्ट...
प्रतिलिपि कहा...
[Signature]

[Signature]
गुरु